

30-11-22

वकील प्रार्थी श्री राजमल जैन उपा. गतादेश
 सुहार फावली दिनांक 7-12-22 को पेश है।

7-12-22

वकील प्रार्थी श्री राजमल जैन उपा. प्रार्थी
 के अधिवक्ता ने यह प्रार्थन पत्र इस अधिसूच
 का पेश किया था कि न्यायालय हाजिर द्वारा
 अपील सं. 2/03 बडनवानी रामधन वर्मा.
 बनाम रामा वर्मा. में नामान्तरकरण सं. 1372
 दिनांक 06/01/879 को निरस्त कर प्रकरण
 पुनः सुनवाई हेतु तदखिलदार बेंगली के यहाँ
 निर्णय दिनांक 28/05/05 से रिमाण्ड किया गया
 था। जिसकी तहरीर जारी करने के संबंध में यह
 इजराय पेश की है। न्यायालय हाजिर द्वारा
 तहरीर जारी की जा चुकी है। अब कोई
 पालना शेष नहीं है। अतः ड्रॉप फरमायी
 जावे।

अतः सुना गया। प्रकरण में कोई कार्यवाही
 पेंडिंग नहीं होने के कारण कार्यवाही ड्रॉप
 की जाती है। फावली फैसल सुहार होकर
 बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।

